राजस्व आय–	धनराशि लाख में
करों से आय	6001.00
कर्तव्यों के अधीन आय	3278.00
नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	346.00
शुल्कों से आय	1678.00
बिक्री एवं भाड़े से आय	119.50
विनियोगों से आय	100.00
ब्याज से आय	500.00
अन्य आय	200.00
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना	5472.67
अनुदान केन्द्र सरकार	10310.00
अनुदान राज्य सरकार	23119.00
प्रारम्भिक अवशेष	8662.50
महायोग	60007.87

राजस्व व्यय–	धनराशि लाख में
अधिष्ठान व्यय	18875.00
प्रशासनिक व्यय	2699.55
अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	5279.00
ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	702.00
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना	5472.67
अनुदान केन्द्र सरकार	10310.00
अनुदान राज्य सरकार	7019.00
स्थाई सम्पत्तियां	386.00
ऋण अग्रिम और जमा	2.00
ऋण, अग्रिम और जमा·अन्य सम्पत्ति	557.00
शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	51302.22
अन्तिम अवशेष	8705.65
महायोग	60007.87

Mridula

महापौर
नगर निगम-वाराणसी

(धनराशि लाख में)

राजस्व आय	प्रस्तावित पुनरीक्षित बजट 2019–2020
करो से आय	
सम्पत्ति **कर** **श्री सुरेश चौरसिया–** अध्यक्ष महोदया 27.12.2013 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम सम्पत्ति कर द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 जिसमें आवासीय/अनावासीय भवनों में जो कर लागू करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 207 (क) से लेकर 221 (ख) प्रयोग कर लागू किया गया उसका अनुपालन नगर निगम द्वारा नहीं कराया गया। नियमानुसार जनसाधारण हेतु इसका प्रकाशन किया जाना चाहिए था, तत्पश्चात् आपत्ति प्राप्त होने पर उसका निस्तारण करने के पश्चापत् अन्तिम प्रकाशन के बाद इसे लागू किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। जब वर्ष 2019–20 तक करदाताओं द्वारा कर जमा किया जा चुका है तो उनसे पुनः कर लेना उचित नहीं है, हम पार्षदगण जब वर्ष 2017 में चुनाव लडे थे तो नियमानुसार जलकल विभाग और नगर निगम से दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र में भी 2017–18 तक कोई धनराशि देय नहीं है का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद पुनः 2014 से इसे लागू करने का क्या औचित्य है। यह नियमावली 1999 में पारित की गयी और करारोपण 01 अप्रैल 2004 से लागू किया गया। वर्ष 2004 में जब स्वकर लागू किया गया तब जिसे स्वकर का बिल नहीं भेजा गया तो पुराने दर से जमा किये गये टैक्स की रसीद पर स्वकर का अन्तर देय होगा लिखा जाता था। 2014 के बाद 2019 तक किसी को नये आधार पर डिमाण्ड बिल नहीं भेजी गयी। मै अनुरोध करता हूँ कि इसे अप्रैल 2020 से लागू किया जाय और इस प्रक्रिया को लागू करने हेतु जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, उनके विरूद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए। **श्री सीताराम केशरी–** अध्यक्ष महोदय सदन जानना चाहती है कि मूल बजट वर्ष 2019–20 के लिए करों से आय 45 करोड़ रखी गयी थी, सितम्बर 2019 तक इसमें केवल 15 करोड़ की वसूली हो पायी है। किस आधार पर 60 करोड़ प्रस्तावित किया गया है, इसे कैसे वसूलेगें। स्पष्ट कराया जाय। **अध्यक्ष–** अपर नगर आयुक्त स्पष्ट करें। **अपर नगर आयुक्त (प्रथम)–** अध्यक्ष महोदय लेखाधिकारी स्पष्ट करेंगें। **डॉ0 मनोज कुमार त्रिपाठी, लेखाधिकारी–** अध्यक्ष महोदया मूल बजट में इसे 45 करोड़ रखा गया था, शासन द्वारा कर व करेत्तर के मद में लक्ष्य 122.70 करोड़ रखा गया है। उक्त निर्देश के क्रम में लक्ष्य 45 करोड़ के स्थान पर 60 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। **श्री सीताराम केशरी–** अध्यक्ष महोदया जनता में भय का वातारण बनाकर टैक्स वसूल किया जा रहा है। गृहकर स्वामियों को कुर्की आदि की नोटिस भेजकर डराया जा रहा है। दो लाख, तीन लाख की नोटिस भेजकर कम करने के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, इसमें जोन के अधिकारी एवं कर्मचारी सभी शामिल है। वर्ष 2014 के टैक्स को वर्ष 2019 में लिया जा रहा है जिनके द्वारा टैक्स दे दिया गया है उनके भवनों का रि–असेस्मेण्ट करके ब्याज सहित धनराशि की मांग की जा रही है। इसका हल निकाला जाय। उपरोक्त बातों का समर्थन श्री अजीत सिंह एवं श्री राजेश यादव एवं अन्य पार्षदगणों द्वारा भी किया गया।	6000.00

Mridula

महापौर

नगर निगम-वाराणसी

श्री नरसिंह दास– अध्यक्ष महोदया वर्ष 2014 से क्यों करारोपण किया जा रहा है, ब्याज सहित बिल भेजी जा रही है, इसे सदन के संज्ञान में क्यो नही रखा गया। इस सम्बन्ध में क्या शासन से कोई निर्देश प्राप्त हुआ है। किस आधार पर वर्ष 2014 से टैक्स लेने हेतु डिमाण्ड बिल प्रेषित की जा रही है, जब लोग अपने–अपने भवन का टैक्स जमा कर चुके है तो पुनः बिल क्यो भेजी जा रही है, इसे स्पष्ट कराया जाय।

अध्यक्ष– अपर नगर आयुक्त स्पष्ट करें।

अपर नगर आयुक्त (द्वितीय) – अध्यक्ष महोदया सम्पत्तिकर नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

अध्यक्ष–सम्पत्ति कर संशोधित नियमावली 2013 आवासीय/अनावासीय हेतु प्रख्यापित की गयी तो उसका अनुपालन तत्समय क्यो नही किया गया। पॉच वर्ष के बाद वसूली क्यो किया जा रहा है, और ब्याज सहित वसूल किया जा रहा है, क्या यह गलत नही है।

अपर नगर आयुक्त(द्वितीय)– अध्यक्ष महोदया सम्पत्ति कर संशोधित नियमावली 2013 में सम्पत्ति का विवरण दिया गया है, उसकी 10 श्रेणियां निर्धारित की गयी है। भवनों के परिवर्तन/परिवर्धन का ब्याज लिया जा रहा है, जो भवन छूटे हुए है उन्हें कर से आच्छादित किया जा रहा है। सम्पत्ति कर नियमावली 2013 को जन साधारण हेतु सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गयी थी, जिसके माध्यम से उन्हें अपने भवन का गृहकर स्वयं निर्धारित करना था। जिन भवन स्वामियों द्वारा अपने भवन का गृहकर स्वयं निर्धारित नही किया गया है, उन भवन स्वामियों को नोटिस दी जा रही है। तत्समय कतिपय कारणों से करों का निर्धारण नियमावली के तहत नही करायी गयी।

अध्यक्ष– सम्पत्ति कर नियमावली 2013 को तत्समय लागू करने के लिए क्या समस्या थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आज जनता को भुगतना पड रहा है, जो लोग अभी तक अपना कर जमा करते आये है, उनके पास दोबारा बिल भेजा जा रहा है।

श्री प्रशान्त सिंह– अध्यक्ष महोदया किस समाचार पत्र में और कब पब्लिकेशन कराया गया, जनता को इसकी जानकारी कैसे दी गयी गयी, इसके बारे में स्पष्ट किया जाय। शासनादेश के बाद कितने लोगों द्वारा बिल को जमा किया गया, कितने लोगो द्वारा नही जमा किया गया। शासनादेश में क्या व्यवस्था है, इसके लिए किसको जिम्मेदारी दी गयी थी, कि तत्समय उनके द्वारा इसपर कार्यवाही नही की गयी इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पूरी जानकारी दी जाय।

अध्यक्ष– नगर आयुक्त स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदया नगर को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के उददेश्य से सम्पत्ति कर निर्धारण प्रकिया में पारदर्शिता बनाते हुए नागरिकों को स्वकर निर्धारण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–9 की अधिसूचना संख्या 1463/9–9–2010–85ज/2005 टी0सी0, लखनऊ दिनांक 27.12.2013 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्तिकर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 प्राख्यापित की गयी है, जिसके अनुसार आवासीय एवं अनावासीय भवनों एवं भूमियों के गृहकर निर्धारण की व्यवस्था है। सम्पत्ति का विवरण श्रेणीवार क्रम संख्या 01 से 10 तक वर्गीकृत किया गया है, उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अल्प आय वर्ग के लोगो को ध्यान में रखा जाता है।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया जिन भवन स्वामियों द्वारा अपने गृहकर का भुगतान वर्ष 2019 तक कर दिया है, उनसे कैसे लेगें। शासनादेश में बुनकरो को छूट के लिए भी कोई आदेश है, स्पष्ट करा दें।

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

अपर नगर आयुक्त(द्वितीय) अध्यक्ष महोदया सम्पत्तिकर नियमावली में जो आवासीय एवं अनावासीय भवनो के सम्बन्ध में श्रेणीवार व्यवस्था दी गयी है, उसी के तहत कार्यवाही की जा रही है। बुनकरों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नही दी गयी है।

श्री अशोक मौर्या– अध्यक्ष महोदय सम्पत्तिकर नियमावली 2013 हम सभी को उपलब्ध कराया जाय ताकि उसका अध्ययन किया जा सकें।

अध्यक्ष–गृहकर निर्धारण के सम्बन्ध में सदन एक निर्णय ले जिससे शासन को अवगत कराया जा सकें।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदय हम शासन को क्यो भेजेंगे। सदन निर्णय कर उसका अनुपालन करायें।

श्री नरसिंह दास– अध्यक्ष महोदया नगर निगम की आय बढ़े इसपर कोई नाराजगी नही है, परन्तु नियम संगत बढ़े, अनावश्यक भवन स्वामियों पर कर का बोझ न बढ़े इसपर सदन चिन्तित है। भवन का मनमाना व्यवसायीकरण वर्ष 2014 से बढ़ाया जा रहा है, जिसका टैक्स लोगों द्वारा जमा किया जा चुका है, उसके बावजूद दोगुना, तीन गुना, चार गुना, पाँच गुना बढ़ाकर बिल भेजी रही है, नोटिस में लिखा गया है, कि 15 दिन के अन्दर जमा करें अन्यथा भवन की कुर्की की जायेगी। इसपर सदन चिन्तित है। नगर के विकास हेतु नगर निगम की आय बढ़े हम चिन्तित है, पर इसे आगामी वर्ष अप्रैल 2020 से लागू किया जाय। नगर निगम की आय को अन्य मदो से बढ़ाने का प्रयास क्यो नही किया जा रहा है। आय बढ़ाने का स्रोत केवल भवन से ही क्यो टारगेट किया जा रहा है।

श्री अजीत सिंह– अध्यक्ष महोदया यह स्पष्ट कराया जाय कि जो टैक्स वर्ष 2014 से 2019 के मध्य वसूले गये क्या उसका समायोजन किया जायेगा। निश्चित तौर पर गृहकर की बढ़ी धनराशि को आगामी सत्र अप्रैल 2020 से अदा करने हेतु निर्णय लिया जाय। जिन भवनो को कर की परिधि से बाहर रखा गया है, उनकी जाँच करायी जाय ।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया अधिकारी एवं पार्षदों को मिलाकर एक कमेटी बनायी जाय। पाँचो जोन में कर से सम्बन्धित श्रेणीवार अनावासीय एवं आवासीय को रेट बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाय ताकि आम नागरिक भी इसे समझकर अपना टैक्स निर्धारित करा सकें। पारर्दिशता के दृष्टि से बिजली विभाग की तरह भवन स्वामी के घर पर डिटेल लिखवाया जाय।

श्री शंकर साहू– अध्यक्ष महोदया 60 करोड़ से ज्यादा टैक्स हमें प्राप्त होगा बशर्ते हम सही तरीके से अनावासीय भवनों को चिन्हित कर उनका सही निर्धारण करायें पहले इसका सर्व किया जाय। वर्ष 2014 से कितने भवन पर टैक्स लगाया गया, इसे स्पष्ट कराया जाय।

अध्यक्ष– नगर आयुक्त स्पष्ट करे।

नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदया जायका की तरफ से साइण्ट कम्पनी द्वारा शहर के अनावासीय एवं आवासीय भवनो का जी0आई0एस0 सर्वे कराकर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, अभी तक इनके द्वारा वरूणापार, आदमपुर, कोतवाली, प्रत्येक जोन के 600 भवनों को चिन्हित किया गया जिसका मैच

Mridula
महापौर
नगर निगम–वाराणसी

कराकर ठीक किया जा रहा है। टैक्स के निर्धारण की विधि को जोन कार्यालय पर लिखवाया जायेगा। प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा ताकि पारदर्शिता आये, और जनता को जानकारी मिलें। **श्री मनोज यादव–** अध्यक्ष महोदया तमाम अभी ऐसे भवन है जो टैक्स की परिधि से बाहर है, जी0आई0एस0 सर्वे कराकर उन्हें टैक्स की परिधि में लाया जाय। **अध्यक्ष–** राजस्व निरीक्षक मनमाने ढंग से करारोपण की कार्यवाही कर रहे है, जी0आई0एस0 सर्वे की कार्यवाही को रोका जाय। वर्ष 2014 से करारोपण के संबंध में विधिक राय प्राप्त कर लिया जाय, विभाग द्वारा जो गलती की जा रही है, उसे भवन स्वामी क्यों भुगतें। शासन द्वारा सम्पत्ति कर नियमावली 2013 को 2014 से लागू किया जा रहा है, जबकि लोगों द्वारा वर्ष 2019 तक अपने गृहकर का अदायगी कर चुके है तो पुनः 2014 से लागू करने का क्या औचित्य है। इसे आगामी सत्र अप्रैल 2020 से तैयार कर लागू किया जाय। **नगर आयुक्त–** अध्यक्ष महोदया स्वकर निर्धारण की प्रकिया शासन द्वारा जो निर्धारित की गयी है। स्वकर निर्धारण के संबंध में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अपर नगर आयुक्त द्वितीय, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी तथा मुख्य नगर लेखा परीक्षक होगें जो गृहकर मूल्यांकन से संबंधित समस्या का मानिटरिंग कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें। यदि सदन अप्रैल 2020 से इसे लागू करने का निर्णय लेती है तो शासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी। **श्री प्रशान्त सिंह–** अध्यक्ष महोदया अप्रैल 2020 से लागू अगर नही किया जाता है तो 2014 से अब तक की कार्यवाही की जानकारी देनी होगी, कि सम्पत्ति कर नियमावली 2013 को वर्ष 2014 में लागू करने हेतु इसकी प्रकिया को किस समाचार पत्र में जन साधारण हेतु प्रकाशित कराया गया उसका क्या आदेश था किस अधिकारी की जिम्मेदारी इसे लागू करने की थी, पूरा स्पष्ट किया जाये। सदन की मंशानुसार 2014 से अब तक 2013 की संशोधित सम्पत्ति कर नियमावली की कार्यवाही को रोकते हुए इसे शासन को अवगत कराया जाय। ✓ **अध्यक्ष–** सम्पत्ति कर संशोधित नियमावली 2013 के कियान्वयन को 2014 में लागू किया जाना था जो विभाग द्वारा विलम्ब से किया गया तथा 2019 में 2014 से ब्याज सहित डिमाण्ड नोटिस भवन स्वामियों को दी जा रही है, इसके संबंध में सदन के सभी सदस्यों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि पुनरीक्षित कर वर्ष 2014 से लेने का कोई औचित्य नहीं है। अतः सदन यह निर्णय लेती है कि पूर्वगामी तिथि से प्रभावी किये गये सामान्य कर को 01 अप्रैल 2020 से लागू किया जाय तथा सदन की मंशानुसार नयी नियमावली 2013 के आधार पर करारोपण की कार्यवाही को रोका जाय एवं इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागू करने हेतु शासन को पत्र भेजकर अवगत कराया जाय और इस सम्बन्ध में जिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गयी है उनके सम्बंध में कार्यवाही की जाय।	
यात्रीकर– **श्री कुवंर कांत सिंह–** अध्यक्ष महोदया यात्री कर में आय शून्य दिखाया गया है, इसे स्पष्ट करा दें। **अध्यक्ष–** नगर आयुक्त स्पष्ट करें। **डॉ0 मनोज कुमार त्रिपाठी, लेखाधिकारी–** अध्यक्ष महोदया यह धनराशि रेलवे की ओर से प्राप्त होती थी, जो 1995 से प्राप्त नहीं हो रही है। **श्री सीताराम केशरी–** अध्यक्ष महोदया रेलवे, बस व जहाज का टिकट दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो यात्रीकर भी बढ़कर मिलना चाहिए और इसके लिए रेलवे व शासन को पत्र प्रेषित किया जाना चाहिए।	1.00

Mridula
महापौर
नगर निगम–वाराणसी

(कई सदस्यों द्वारा यात्री कर 10 पैसे से बढ़ाकर 02 रुपया करने की मांग की गयी)

अध्यक्ष– नगर आयुक्त स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त– लेखाधिकारी स्पष्ट करें।

श्री भरत दूबे, सहायक लेखाधिकारी– अध्यक्ष महोदया केवल रेलवे से धनराशि मिलती रही है वो भी 1995 तक ही प्राप्त हुई है, धार्मिक नगरी होने के कारण शासन द्वारा प्रयाग व वाराणसी में यह दर प्रति यात्री मात्र 10 पैसा ही रखा गया है। रेलवे द्वारा शासन को पैसा दिया जाता है, इस सम्बन्ध में नगर निगम वाराणसी द्वारा रेलवे व शासन को पूर्व में पत्र प्रेषित किया जा चुका है, इस सम्बन्ध में पुनः पत्र प्रेषित किया जायेगा। जब पत्र भेजा जायेगा तो उसमें यात्रीकर में बढोत्तरी की बात कही जा सकती है।

अध्यक्ष– आप सभी लोग सहमत है तो यात्रीकर 02 रुपया कर दिया जाय और पूर्व में भेजी गयी पत्रावली के अनुसार पुनः 02 रुपया प्रति यात्रीकर हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाय।

(इस पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति जतायी गयी।)

<u>कर्तव्यों के आधीन</u> **आय**	
अन्य कर : सिनेमा **कर**	13.00
स्टाम्प ड्यूटी से **आय**	3265.00

श्री संदीप त्रिपाठी– अध्यक्ष महोदया स्टाम्प ड्यूटी में अब तक कोई वसूली नहीं दिखायी गयी है, स्पष्ट करा दें।

अध्यक्ष– नगर आयुक्त स्पष्ट करें।

लेखाधिकारी– अध्यक्ष महोदया यह धनराशि वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त होती है।

श्री सुरेश चौरसिया– अध्यक्ष महोदया **अवस्थापना** वर्ष 2017–18 व 2018–19 में जो धनराशि दिखायी गयी है क्या उस धनराशि का पूरा प्रयोग विकास कार्यों में किया जा चुका है, मुझे लगता है कि वह पैसा अभी तक खर्च नहीं किया गया है, स्पष्ट करा दें।

श्री राजेन्द्र मौर्या– अध्यक्ष महोदया हम जब भी अधिकारियों के पास कार्य कराने के लिए अपना पत्र देते है तो कहा जाता है कि अभी बजट नहीं है।

श्री बबलू शाह– अध्यक्ष महोदया कार्य कराने के लिए पैसा नहीं है, यह मौखिक ही नहीं लिखित भी अधिकारियों द्वारा दिया जाता है।

अध्यक्ष– नगर आयुक्त स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त– लेखाधिकारी स्पष्ट करें।

लेखाधिकारी– अध्यक्ष महोदया अवस्थापना निधि मा0 महापौर के अधीन है, धनराशि की कोई कमी नहीं है, 14 वित्त की धनराशि भी बची है। जो 25–25 लाख रूपये का कार्य कराने की बात कही जा रही है उसके लिए 12 करोड़ रूपये रखे गये है। अवस्थापना निधि के पैसे से मरम्मत कार्य नहीं कराया जा सकता है केवल नया कार्य ही कराया जा सकता है।

अध्यक्ष– मार्च 2020 तक पार्षद निधि के सारे कार्य पूर्ण कर लिये जाय, 12 करोड़ के सापेक्ष कितना कार्य कराया जा सकता है, एक सप्ताह में जाँच करके स्पष्ट कर लें।

मुख्य अभियंता–अध्यक्ष महोदया कुछ पार्षदगण के प्रस्ताव अभी तक नहीं आये है।मा0 पार्षदगण मुख्यअभियंता कार्यालय में अपने–अपने वार्ड के कार्य का प्रस्ताव उपलब्ध करा दें।

नगर आयुक्त–अध्यक्ष महोदया मुख्य अभियंता यह देख लें कि 12 करोड के सापेक्ष कितना कार्य करा हो सकता है, इसकी जाँच करके 01 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

श्री सीताराम केशरी– अध्यक्ष महोदया 30 वर्ष पूर्व शहर में जहाँ–जहाँ चौका पत्थर लगाया गया है वह उखड़ जाने पर पुनः रिसेटिंग कर दिया जाता है, लेकिन नया चौका कई वर्षो से नही लगाया जा रहा है, ठेकेदार बताते है कि नया चौका नहीं मिल रहा है, डमरू वाला ईटा न लगवाया जाय जहाँ भी लगे चौका ही लगे,क्योंकि डमरू वाला ईटा उखड जाता है।

मुख्य **अभियंता**– अध्यक्ष महोदया स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत जिन–जिन क्षेत्रों में कार्य कराया

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

जायेगा उन क्षेत्रों का चौका पत्थर आवश्यकतानुसार अन्य क्षेत्रों में लगवाया जायेगा।

श्री दिनेश यादव– अध्यक्ष महोदया 112 कार्यो का टेण्डर निकाला गया है, जिसमें वरूणापार क्षेत्र का कार्य न के बराबर है, केवल कुछ जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर ही कार्य का प्रस्ताव तैयार किया गया है, हमारे क्षेत्र में कार्य के लिए पैसा का अभाव बताया जाता है।

अध्यक्ष– शासन से पैसा प्राप्त होता है और कार्य नहीं करा पाते है। वर्ष 2016–17 से अब तक के पारित कार्य लम्बित है, यह अत्यन्त खेदजनक है, पार्षद कोटे के कार्यो को मार्च 2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करायें।

श्री दिनेश यादव– अध्यक्ष महोदया किन–किन वार्डो में स्मार्ट सिटी से कार्य कराया जा रहा है।

नगर आयुक्त– अध्यक्ष महोदया स्मार्ट सिटी में कुल 16 वार्ड लिये गये है जिसमें से तीन वार्ड (कालभैरव, कामेश्वर महादेव, राजमन्दिर) के कार्यो का टेण्डर होने वाला है।

अध्यक्ष– जिन वार्डो में स्मार्ट सिटी से कार्य करना सुनिश्चित हो जाये और वर्क आर्डर जारी हो जो तो वहाँ नगर निगम के कार्यो को रोका जाय ताकि डुप्लीकेशी न होने पाये।

श्री संदीप त्रिपाठी– अध्यक्ष महोदया 2015 में वीकेश एण्ड एसोसिएट को ब्लैक लिस्ट किया गया था और जिसके लिए ब्लैक लिस्ट किया गया फिर उसी को काम दिया गया है, यह कैसे हुआ है।

अध्यक्ष– कम्पनी को कैसे बहाल किया गया है।

मुख्य अभियंता– अध्यक्ष महोदया कम्पनी की ओर से आवेदन किया गया है, पूर्व नगर आयुक्त महोदय के निर्देश पर जुर्माना लगाकर, फिर बहाली की गयी है।

श्री अजीत सिंह– अध्यक्ष महोदया आज की यह बैठक बजट की बैठक है, इसमें अन्य विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती है, केवल बजट पर ही चर्चा करायी जाय।

श्री राजेश केशरी– अध्यक्ष महोदया बुनकर लोगों पर व्यवसायिक कर नहीं लगता है तो फिर ये अपने घरों में जो कुटीर उद्योग लकड़ी के सामान व अन्य छोटा काम करने वाले पर क्यों व्यवसायिक गृहकर लगाया जा रहा है।

श्री संदीप त्रिपाठी– सभापति महोदया लकड़ी के खिलानों अन्य हस्तकला का कार्य करने वाले कुटीर उद्योगों का कर न बढ़ाया जाय इन्हें और संरक्षित किया जाना चाहिए।

नगरीय सम्पत्तियों के किराये से **आय**	
दुकान किराया	120.00
प्रेक्षागृह किराया	1.00
पार्क एवं खाली मैदान	5.00
कार्यालय **भवन–आवास**	15.00
विज्ञापन **स्थल** किराया	205.00
शुल्कों से **आय**	
पंजीकरण शुल्क : घोड़ा गाड़ी आदि	0.00
पंजीकरण **शुल्क** : **कुत्ता** आदि।	10.00

श्री अजीत सिंह– अध्यक्ष महोदया यह लक्ष्य मूल बजट में एक करोड़ रूपया प्रस्तावित था, शहर के अधिकांश लोग कुत्ता पालते है परन्तु नगर निगम में पंजीकरण नहीं कराते है, जिससे नगर निगम की आर्थिक क्षति होती है, कुत्तों का पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क 200 रूपया रखा गया है, प्रभावी ढ़ंग से इसमें अधिकारियों द्वारा मानिटरिंग की जाय तो एक करोड़ की धनराशि कोई ज्यादा नहीं है अभी तक सितम्बर 2019 तक मात्र 28 हजार की वसूली प्राप्त होना यह कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह उठाता है, इसमें आय की गुंजाईश है, इसे यथावत एक करोड रखा जायं। बजट में कई गलतियां है इसे सुधार लिया जाय। पिछली कार्यकारिणी की प्रोसेडिंग मंगवाकर देखी

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

जा सकती है। जिसमें कार्यकारिणी द्वारा कुत्तों के पंजीकरण शुल्क से आय 1 करोड़ रूपया करने का मेरा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था परन्तु प्रस्तुत बजट में कार्यकारिणी के द्वारा किये गये संशोधन को सम्मिलित न कर पूर्व की तरह प्रस्तुत कर दिया गया है। कुत्तों के पंजीकरण से प्राप्त होने वाली धनराशि से संतुष्ट न होने पर श्री अजीत सिंह द्वारा नाराजगी जताते हुए सदन की कार्यवाही को छोड़कर बाहर चले गयें। इन्हीं के साथ श्री सीताराम केशरी, गोपाल यादव, बबलू शाह भी बाहर चले गयें। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार कार्यवृत्ति का अवलोकन कर सदन के संज्ञान में लाया गया। कार्यवृत्त में किसी मात्रात्मक परिवर्तन का उल्लेख नहीं था।	
पंजीकरण शुल्क : ठेकेदार आदि	5.00
नवीनीकरण शुल्क : ठेकेदार आदि	12.00
नियमतिकरण शुल्क : दुकान आदि	1.00
लाइसेन्स शुल्क : रिक्शा, तांगा, नाव आदि	20.00
लाइसेन्स शुल्क : हाथ ठेला, ट्राली इत्यादि(सामानो हेतु)।	15.00
लाइसेन्स शुल्क : बीयर और शराब की दुकानों **श्री दिनेश यादव–** अध्यक्ष महोदया बियर व शराब की दुकानों से अब तक कोई वसूली नहीं दिखायी गयी है, ऐसा क्यों? स्पष्ट करा दे। **अध्यक्ष–** नगर आयुक्त स्पष्ट करे।। **नगर आयुक्त–** अध्यक्ष महोदया आबकारी विभाग से जो सूची प्राप्त होती है उसी के अनुसार लाइसेंस शुल्क लिया जाता है। **श्री आशीष कुमार ओझा, सहायक नगर आयुक्त–** अध्यक्ष महोदया पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वसूली प्रभावित हुई है वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पूरा कर लिया जायेगा। **अध्यक्ष–** अगली बजट की बैठक में जितनी वसूली हो सके उसी के अनुसार लक्ष्य प्रस्तावित किया जाय। यथावत स्वीकार किया जाता है।	10.00
लाइसेन्स शुल्क : ज्वलनशील पदार्थ के दुकान **श्री बृजेश चन्द्र श्रीवास्तव–**अध्यक्ष महोदया इसमें लक्ष्य काफी कम है, इसे बढ़ाया जाय। **अध्यक्ष–** नगर आयुक्त स्पष्ट करे। **श्री आशीष कुमार ओझा, सहायक नगर आयुक्त–** अध्यक्ष महोदया अलग–अलग लाइसेंस शुल्क निर्धारित है, कुल 66 तरह की वस्तुएं है, मार्च में ही ज्यादातर नवीनीकरण से आय आती है। **अध्यक्ष–** वसूली बढ़ाने की कार्यवाही की जाय, इसे यथावत स्वीकार किया जाता है।	10.00
लाइसेन्स शुल्क : ध्वनि विस्तारक यंत्र	0.00
लाइसेन्स शुल्क : रिक्शा चालक, परिचय पत्र एवं नामान्तरण इत्यादि।	1.00
लाइसेन्स शुल्क : पशुवध/कसाई एवं माँस व्यापारी **श्री दिनेश यादव–** अध्यक्ष महोदया पूरे शहर में दुकाने है, लेकिन वसूली बहुत कम दिखायी जा रही है। **अध्यक्ष–** नगर आयुक्त स्पष्ट करें। **श्री आशीष कुमार ओझा, सहायक नगर आयुक्त–** अध्यक्ष महोदया नगर निगम द्वारा लाईसेंस प्रतिबंधित है, स्लाटिंग हाउस को बंद कर दिया गया है, इसलिए वसूली नहीं हो रही है। **नगर आयुक्त–** अध्यक्ष महोदया यह कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, मेरा अनुरोध है कि जब तक नगर निगम द्वारा वसूली नहीं की जा रही है इस मद में होने वाली धनराशि इसे शून्य रखा जाये। **अध्यक्ष–** इस मद की प्रस्तावित धनराशि 01 लाख के स्थान पर शून्य रखा जाता है।	01.00

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

लाइसेन्स शुल्क : होटल, लाज, धर्मशाला इत्यादि **श्री बृजेश चन्द्र श्रीवास्तव–** अध्यक्ष महोदया पूरे शहर में होटल, लॉन, लॉज काफी संख्या में है, इनसे गतवर्ष कितनी आय हुई थी, भूस्वामियों द्वारा अनावासीय के रूप में किया जा रहा है, इनका असेस्मेंट नहीं किया जा रहा है, असेस्मेंट कर वसूली बढ़ाई जाय। उपरोक्त बातों का समर्थन श्री दिनेश यादव द्वारा किया गया। **श्री आशीष कुमार ओझा, सहायक नगर आयुक्त–** अध्यक्ष महोदया होटल, लॉज, लॉन आदि कुल मिलाकर लगभग 598 है, जिन पर करारोपण की कार्यवाही की जा रही है। इससे आय बढ़ रही है। पिछले वर्ष कुल 6 लाख रूपये की वसूली की गयी थी, होटल, लाजिंग, गेस्ट हाउस, बारातघर का 2000/रूपया, तीन सितारा होटल का 18000/रूपया, पाँच सितारा होटल का 24000/रूपया वार्षिक लिया जाता है। **नगर आयुक्त–** अध्यक्ष महोदया यह शहर एक पर्यटन स्थल के रूप में है, यहाँ देश–विदेश से लोग आते है, इसका नगर निगम पर स्वच्छता के रूप में जिम्मेदारी अत्यधिक आती है, ऐसे में यदि सभी होटल वालों से कहा जाय कि अपने बिल का 1–2 प्रतिशत धनराशि स्वच्छता कर के रूप चार्ज करें और यह धनराशि नगर निगम को प्राप्त हो, जिसका उपयोग शहर की स्वच्छता में किया जाय। **अध्यक्ष–** स्वच्छता चार्ज के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त एक अलग से बैठक करें। बजट का यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।	20.00
लाइसेन्स शुल्क : स्कूल/कालेज बस।	20.00
लाइसेन्स शुल्क : आटो रिक्शा।	1.00
लाइसेन्स शुल्क : नर्सिंग होम/अस्पताल	47.00
प्रमाण पत्र शुल्कः नकल	5.00
प्रमाण पत्र शुल्कः जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र	15.00
विकास शुल्कः ध्वस्तीकरण(अतिक्रमण)	1.00
दण्ड और जुर्माना(लाइसेन्स विभाग)	5.00
दण्ड और जुर्माना(विज्ञापन विभाग)	2.00
दण्ड और जुर्माना(अतिक्रमण विभाग)	2.00
दण्ड और जुर्माना(स्वास्थ्य विभाग)	70.00
दण्ड और जुर्माना(ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता)	2.00
अन्य शुल्कः विज्ञापन शुल्क	155.00
अन्य शुल्कःअन्य शिक्षण संस्थान शुल्क(नगर निगम विद्यालय)	0.50
अन्य शुल्कः नामान्तरण शुल्क	200.00
अन्य शुल्कः सूचना के अधिकार सम्बन्धी शुल्क	1.00
अन्य शुल्कः मलवा निस्तारण	5.00
उपयोग कर्ता शुल्कः अस्पताल दवाओं/परामर्श शुल्क	0.00
उपयोग कर्ता शुल्कः पशु चिकित्सालय	0.10
उपयोग कर्ता शुल्कः कांजी हाउस	10.00
उपयोग कर्ता शुल्कः कूड़ा संग्रहण शुल्क (यूजर चार्जेज)	15.00
उपयोग कर्ता शुल्कः शवदाह गृह शुल्क	10.00
उपयोग कर्ता शुल्कः टैंकर पानी(उद्यान विभाग)	0.50
उपयोग कर्ता शुल्कः पार्किंग शुल्क	200.00

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

श्री दिनेश यादव– अध्यक्ष महोदया शहर में कई जगह नगर निगम की पार्किंग चलायी जा रही है, लेकिन वसूली कम दिखायी गयी है, जबकि कुछ स्थलों पर अवैध वसूली की जा रही है। **श्री शंकर साहू–** अध्यक्ष महोदया गोदौलिया दूधसट्टी अवैध चलायी जा रही है, इसे नगर निगम द्वारा पूर्व में चलाया जा रहा था, पुनः चलवाया जाय, इससे नगर निगम की आय होगी। **अध्यक्ष–** नगर आयुक्त स्पष्ट करे। **अपर नगर आयुक्त , प्रथम–** अध्यक्ष महोदया कुछ जगहों की पार्किंग पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिक्रमण के चलते रोक दी गयी है, इसलिए वसूली कम आ रही है। **अध्यक्ष–** नगर निगम द्वारा जहॉ–जहॉ पार्किंग स्थल है वहॉ से नियमानुसार वसूली करायी जाय, समय से शुल्क नगर निगम कोष में जमा करायें एवं जिन स्थलों पर अवैध पार्किंग चलाये जा रहे है, उसे हटाया जाय या उसे नगर निगम द्वारा संचालित कराया जाय। इस मद का बजट यथावत स्वीकार किया जाता है।	
उपयोग कर्ता शुल्कः वधालय चार्जेज	0.00
उपयोग कर्ता शुल्कः चौराहो का सौन्दर्यीकरण	0.10
उपयोग कर्ता शुल्कः मृत पशुओं का निस्तारण	2.00
प्रवेश शुल्कः उद्यान	0.00
सेवा/प्रशासनिक शुल्कः सड़क क्षति वसूली	800.00
अन्य शुल्क : नम्बर प्लेट एवं टोकन की बिक्री	4.00
बिक्री एवं भाडे से आय	
घास/पेड़ आदि	2.00
प्रारूपों और प्रकाशनों की बिक्रीः निविदा	80.00
प्रारूपों और प्रकाशनों की बिक्रीः अन्य	15.00
निष्प्रयोज्य अप्रचलित भण्डार की बिक्री	2.00
निष्प्रयोज्य अप्रचलित संपत्ति की बिक्री	20.00
उपकरणों पर भाड़ाः रोलर्स और यन्त्र	0.50
उपकरणों पर भाड़ा अन्य और यन्त्र	0.00
विनियोगो से आय	
ब्याजः सावधि जमा	100.00
ब्याज से आय	
बैंक खातों से ब्याजः बचत खाता	500.00
प्रतिभूति/जमा जब्तीकरण	2.00
कर्मचारियों से वसूलीः मकान किराया कटौती	2.00
कर्मचारियों से वसूलीः वाहन उपयोग कटौती	2.00
कर्मचारियों से वसूलीः अन्य	2.00
अन्य आयःविविध आयः मेला एवं उत्सव चार्जेज	2.00
विविध आयः अन्य (9–2)	190.00
पूँजीगत आय	
कार्य विशेष निधियाँ	
जे.एन.एन.यू.आर.एम :	
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना	0.00
सीवरेज योजना (ट्रान्स वरूणा)	5472.67
स्ट्राम वाटर ड्रेनेज	0.00
जलापूर्ति योजना प्रायरिटी–1 फेज–1	0.00

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

जलापूर्ति योजना प्रायरिटी–2(ट्रांस वरूणा)	0.00
अनुदान : केन्द्र सरकार	
तेरहवाँ वित्त आयोग : अनुदान प्राप्ति	0.00
नगर निगम सांसद कोटा निधि	0.00
विशेष निधियाँ : अन्य अनुदान(आपदा/अतिवृष्टि)	10.00
विशेष निधियाँ : हृदय योजना	500.00
चौदहवाँ वित्त आयोग : अनुदान प्राप्ति	6300.00
जायका योजना	2000.00
फूड अपग्रेडशन योजना निधि	0.00
स्वच्छ भारत मिशन	500.00
अमृत योजना	200.00
नमामि गंगे योजना	500.00
डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम सौरपुंज योजना	300.00
अनुदान : राज्य सरकार	
नगर निगम अनुदान निधि(सी.एस.आर./आकस्मिक/अन्य अनुदान)	1800.00
नगर निगम पूर्वांचल/विधायक कोटा निधि	20.00
नगर निगम मलिन सुधार फण्ड	0.00
राज्य वित्त आयोग विकास निधि	1200.00
नगरीय जल निकासी योजना निधि	0.00
नगर निगम वेतन निधि(एस.एफ.सी.)	18800.00
परिवार कल्याण अनुदान	0.00
सड़क सुधार योजना निधि	0.00
गंगा घाट पुनरूद्धार निधि	17.00
कान्हा योजना	400.00
पशु शव उत्सर्जन	200.00
पशु वधशाला	450.00
कान्हा गोशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना	132.00
अन्य दायित्व : अन्य	
कर्मचारियों के लिए प्राप्त सामूहिक बीमा की धनराशि	100.00
फार्मो की बिक्री से प्राप्त(जी.एस.टी.)	10.00
प्राप्त धनराशि : सिविल कार्य(जमानत धनराशि)	100.00
प्राप्त धनराशि : विद्युत कार्य(जमानत धनराशि)	5.00
प्राप्त धनराशि : अन्य कार्य(जमानत धनराशि)	5.00
प्राप्त धनराशि : दुकान(जमानत धनराशि)	1.00
कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय(अ+आ+इ)	51345.37

महापौर
नगर निगम-वाराणसी

प्रारम्भिक अवशेषः–	
नगर निगम निधि बैंक	872.69
विशेष निधियॉ बैंक	7289.81
अनुदान एवं कार्यविशेष अंशदान	0.00
विनियोग	500.00
राजस्व व्यय	
अधिष्ठान व्यय	
वेतन एवं भत्ते : अधिकारीगण	175.00
वेतन एवं भत्ते : कर्मचारीगण	10475.00
मजदूरी संविदा	1900.00
बोनस	150.00
वेतन एवं भत्ते : बकाया	300.00
चिकित्सा प्रतिपूर्ति(नगर निगम निधि)	30.00
कर्मचारियों हेतु वस्त्र (वर्दी)(नगर निगम निधि)	25.00
सभासदो को मानदेय(नगर निगम निधि) **श्री इन्द्रदेव पटवा**–अध्यक्ष महोदया हम जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाया जाय इस सम्बन्ध मे शासन को पत्र प्रेषित किया जाय एवं हम लोगों भ्रमण के लिए केरल और मानसरोवर जाना चाहते है। अपर नगर आयुक्त (प्रथम)– अध्यक्ष महोदया पूर्व सदन की बैठक में मा0 पार्षदों द्वारा प्राप्त हो रही भत्तों की धनराशि 1500/रूपये से बढ़ाकर 15000/रूपये करने का प्रस्ताव 91(2) के तहत दिया गया था जिसे शासन को प्रेषित किया जा चुका है।	20.00
पेंशन	4000.00
सेवा निवृत लाभः अवकाश नकदीकरण	500.00
सेवा निवृत लाभः अवकाश उपादान	1300.00
प्रशासनिक व्यय(नगर निगम निधि)	
किराया एवं कर	0.00
कार्यालय अनुरक्षणः बिजली बिल	60.00
कार्यालय अनुरक्षणः जलपान	5.00
कार्यालय अनुरक्षणः सुरक्षा व्यय	100.00
संचार व्ययः टेलीफोन	4.00
संचार व्ययः मोबाइल	20.00
संचार व्ययः इन्टरनेट/लीज लाइन	5.00
पत्रिकायें	1.00
समाचार पत्र	0.50
प्रेस छपाई(फार्म विभाग)	15.00
छपाई सामग्री/स्टेशनरी (नाजिरात विभाग)	50.00
यात्रा व्यय	20.00
यात्रा व्यय : वाहनों का किराया	150.00
बीमा (गाड़ियों का)	35.00
सम्परीक्षा शुल्क(प्रशासनिक)	0.00
विधि व्यय	2.00
विधि अधिवक्ता शुल्क	30.00

Mridula

नगर निगम-वाराणसी

मुकदमा समझौता खर्च	20.00
अभियन्त्रण/तकनीकी सलाहकार शुल्क	2.00
सलाहकार शुल्क	10.00
अतिथि सत्कार(अधिवेशन)	30.00
विज्ञापन प्रकाशन	50.00
कार्यक्रम आयोजन	10.00
आउटसोर्सिंग : विशेषज्ञ, तकनीकी एवं शिक्षक	5.00
आउटसोर्सिंग : मजदूर एवं अन्य	2000.00
महापौर/पार्षद/अधिकारी भ्रमण/भत्ता	30.00
कार्यकारिणी समिति/सदन व्यय	15.00
अन्य आकस्मिक व्यय(प्रधान कार्यालय)	30.00
महापौर स्वविवेकाधीन फण्ड	0.05
अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण(नगर निगम निधि)	
डीजल एवं पेट्रोल व्यय	800.00
भण्डार का उपभोगः विविध सामग्री (अभियन्त्रण विभाग)	30.00
भण्डार का उपभोगः विद्युत सामग्री	50.00
भण्डार का उपभोगः स्वास्थ्यसामग्री(झाड़ू,दवा,टोकरी एवं चूना)	100.00
भण्डार का उपभोगः उद्यान विभाग	5.00
भण्डार का उपभोगः परिवहन विभाग	250.00
भण्डार का उपभोगः नाजिरात विभाग	25.00
भण्डार का उपभोगः कम्प्यूटर विभाग(कार्टेज व अन्य आदि)	10.00
भण्डार का उपभोगः लाइसेंस विभाग	10.00
सड़क अनुरक्षण	800.00
25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा(सड़क अनुरक्षण)	200.00
मार्ग प्रकाश अनुरक्षण(स्टोर से)	8.00
25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा(स्टोर से)	2.00
मार्ग प्रकाश अनुरक्षण(बाजार से)	20.00
25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा(बाजार से)	5.00
नाला नाली अनुरक्षण/निर्माण	500.00
यातायात संकेत अनुरक्षण	50.00
सड़क मरम्मत (सड़क क्षति के सापेक्ष)	800.00
अन्य आकस्मिक व्यय (अभियन्त्रण)	50.00
फूटपाथ का रख–रखाव	50.00
गलियों का रख–रखाव	300.00
कुओं का रखरखाव	40.00
उद्यानो का रखरखाव	50.00
कुण्ड/तालाबों का रखरखाव	20.00
पार्किंग स्थलों का रखरखाव	5.00
अस्पतालों का रखरखाव(दवा आदि)	1.00
पौधशालाओं का रखरखाव	5.00
सार्वजनिक शौचालाओं का रखरखाव	10.00
शिक्षण संस्थानों एवं छात्रावासों का रखरखाव	10.00

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

आधुनिक वधशालाओ व अन्य	0.00
"शवदाहगृह का रख–रखाव	10.00
मूर्तियों का रखरखाव	5.00
गौशाला रखरखाव/अंशदान	45.00
गंगा घाटो की मरम्मत	10.00
गंगा घाटो की सफाई कार्य	5.00
प्याऊ का रखरखाव	2.00
जलावनी लकड़ी का रखरखाव	30.00
कार्यालय भवनों का रखरखाव	50.00
अन्य भवनों का रखरखाव	20.00
अन्य अनुरक्षण/आपूर्ति	5.00
वाहनों की वाह्य मरम्मत	150.00
सफाई उपकरण	20.00
फर्नीचर एवं फिटिंग का रखरखाव	50.00
बिजली उपकरणों का रखरखाव	20.00
कार्यालय उपकरणों का क्रयः नेटवर्क उपकरण/आई.पी.उपकरण/सी.सी. कैमरा उपकरण सम्बन्धित।	20.00
अन्य सम्पत्तियों का रखरखाव	20.00
यांत्रिकीय उपकरण का रखरखाव	8.00
जनरेटर का रखरखाव	8.00
कम्प्यूटर का रखरखाव	10.00
ए0सी0 का रखरखाव	5.00
फोटोस्टेट मशीन का रखरखाव	5.00
सीवरेज अनुरक्षण	0.00
अन्य अनुरक्षण/व्यय	400.00
वर्षा जलनिकासी व्यय	25.00
जलकल विभागः ऋण/अग्रिम आदि	150.00
ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	
बैंक चार्जेज	2.00
मेला उत्सव चार्जेज(बैरिकेडिग, टेण्ट, शामियाना आदि)	400.00
करों का समायोजन	300.00
पूँजीगत व्यय	
कार्य विशेष निधियाँ	
जे.एन.एन.यू.आर.एम : कार्यदायी संस्थाओं को	
उ0प्र0जल निगम, वाराणसी ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन योजना	0.00
उ0प्र0जल निगम वाराणसी सीवरेज योजना(ट्रान्स वरूणा)	5472.67
"स्ट्राम वाटर ड्रेनेज	0.00
उ0प्र0जल निगम वाराणसी जलापूर्ति. योजना–1 फेज–1	0.00
उ0प्र0जल निगम वाराणसी जलापूर्ति योजना–2(ट्रांस वरूणा)	0.00
अनुदान : केन्द्र सरकार	
तेरहवाँ वित्त आयोग : अनुदान	0.00
नगर निगम सांसद कोटा निधि	0.00

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

विशेष निधियाँ : अन्य अनुदान(आपदा/अतिवृष्टि)	10.00
विशेष निधियाँ : हृदय योजना	500.00
चौदहवाँ वित्त आयोग : अनुदान	6300.00
जायका योजना	2000.00
फूड अपग्रेडशन योजना निधि	0.00
स्वच्छ भारत मिशन	500.00
अमृत योजना	200.00
नमामि गंगे योजना	500.00
डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम सौरपुंज योजना	300.00
अनुदान : राज्य सरकार	
नगर निगम अनुदान निधि(सी.एस.आर./आकस्मिक/अन्य अनुदान)	1800.00
नगर निगम पूर्वांचल/विधायक कोटा निधि	20.00
नगर निगम मलिन सुधार फण्ड	0.00
राज्य वित्त आयोग विकास निधि	1000.00
परिवार कल्याण अनुदान	0.00
सड़क सुधार योजना निधि	0.00
गंगा घाट पुनरूद्धार निधि	17.00
नगरीय अवस्थापना विकास निधि	3000.00
कान्हा योजना	400.00
पशु शव उत्सर्जन	200.00
पशु वधशाला	450.00
कान्हा गोशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना	132.00
स्थाई सम्पत्तियाँ	
कार्यालय भवन	50.00
सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण	15.00
ठोस सडकों का निर्माण	100.00
25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा(ठोस सड़को का निर्माण)	25.00
फुटपाथ का निर्माण	30.00
सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था खम्भे एवं तार	40.00
25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा	10.00
सयन्त्र और मशीनरी: फॉगिंग मशीन क्रय	10.00
सयन्त्र और मशीनरी: सीवर जैटिंग मशीन क्रय	0.00
सयन्त्र और मशीनरी: कंप्रेसर,पम्प,मोटर आदि क्रय	0.00
सयन्त्र और मशीनरी: अस्पताल प्रयोगार्थ	0.00
वाहन: बस, ट्रक, लोडर क्रय आदि	30.00
वाहन: कार/जीप	0.00
वाहन: हाथ कूड़ा गाडी	20.00
कार्यालय उपकरणों का क्रय: एअर कंडीशनर आदि	7.00
कार्यालय उपकरणों का क्रय: कम्प्यूटर्स/लैपटॉप	5.00
कार्यालय उपकरणों का क्रय: फोटोकॉपी मशीन	1.00
कार्यालय उपकरणों का क्रय: नेटवर्क उपकरण/आई.पी.उपकरण/सी.सी. कैमरा उपकरण सम्बन्धित।	25.00

Manjula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

फर्नीचर, फिक्चर,फिटिंग : अलमारी, टेबल, कुर्सियाँ आदि	10.00
फर्नीचर, फिक्चर,फिटिंग : बिजली के उपकरण	5.00
फर्नीचर, फिक्चर,फिटिंग : अन्य	3.00
ऋण, अग्रिम और जमा	
विनियोग पर देय ब्याज से आयकर कटौती	2.00
ऋण, अग्रिम और जमा : अन्य सम्पत्ति	
प्रतिभूति जमा एवं रोकी गई धनराशियों की वापसी	40.00
जमा धनराशि : सिविल कार्य(जमानत धनराशि)	100.00
जमा धनराशि : विद्युत कार्य(जमानत धनराशि)	3.00
जमा धनराशि : अन्य कार्य(जमानत धनराशि)	3.00
जमा धनराशि : दुकान(जमानत धनराशि)	1.00
ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं की देयताओं का भुगतान	300.00
फार्मो की बिक्री पर(जी.एस.टी.)	10.00
कर्मचारी के सामूहिक बीमा का भुगतान	100.00
शुद्व राजस्व, पूँजीगत एव रिजर्व फण्ड व्यय(र–म)	51302.22
अन्तिम अवशेष :–	
नगर निगम निधि बैंक	712.00
विशेष निधियाँ बैंक	7993.65
अनुदान एवं कार्यविशेष अंशदान	0.00
विनियोग	0.00

श्री नरसिंह दास– अध्यक्ष महोदया पुनरीक्षित बजट पर काफी चर्चा हो चुकी है, इसे स्वीकार किया जाय।
अध्यक्ष– नगर निगम का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2019–20 आंशिक संशोधन सहित जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है, सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है।

उपसभापति जलकल का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2019–20 प्रस्तुत करें।

श्री नरसिंह दास– अध्यक्ष महोदया जलकल का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार से है।

आय मद	पुनरीक्षित बजट वर्ष 2019–20 (रू0 लाख में)
जलकर	4950.00
अतिरिक्त जलमूल्य / न्यूनतम प्रभार	746.00
सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	1421.00
अन्य प्राप्तियां	100.00
अधिभार	0.00
नियमितीकरण / जल संयोजन शुल्क	20.00
विकास शुल्क	80.00
डिपाजिट कार्य (सांसद / विधायक निधि) / श्री काशी विश्वनाथ कारीडोर	70.00
अनुदान (13 / 14वाँ वित्त आयोग / अवस्थापना)	2600.00

Mridula
महापौर
नगर निगम-वाराणसी

राज्य सेक्टर से **प्राप्त** धनराशि	723.46
अनुदान (कर्मचारियों के लम्बित भुगतान)	3281.12
ऋण से प्राप्ति (नगर निगम से)	200.00
कुल योग	**14191.58**

संचालन **व्यय**	पुनरीक्षित **बजट** वर्ष **2019–20** (रू0 **लाख** में)
अधिष्ठान **व्यय**	3857.00
विद्युत एवं ऊर्जा	4830.00
पूर्तियां	215.00
अन्य व्यय	51.00
रख–रखाव व्यय	161.00
जनरल टैक्स (गृहकर)	150.00
बकाया वेतन, पेंशन **उपादान** इत्यादि	1481.26
जल मापक यंत्रों **का क्रय**	0.00
मशीनों **तथा** यंत्रों **का क्रय**	5.00
फर्नीचर **तथा** कम्प्यूटर **क्रय**	5.00
वाहन, टैक्टर, टैंकर **क्रय**	5.00
भवन निर्माण एवं भूमि	0.00
आकस्मिक पूँजीगत **व्यय** (14वॉं वित्त आयोग)	2600.00
नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	10.00
ट्यूबेल, **पम्प हाउस**	5.00
नये पम्पिंग/मोटर **पम्प** सेट **का क्रय**	5.00
ऋण एवं **ब्याज का** भुगतान	0.00
डिपाजिट कार्य **का** भुगतान	70.00
राज्य सेक्टर कार्य **का** भुगतान	723.46
अवशेष	17.86
कुल योग	**14191.58**

श्री राजेश **यादव– अध्यक्ष** महोदया **जलकल का बजट यथावत** स्वीकार किया **जाय।**

अध्यक्ष– नगर निगम व जलकल का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2019–20 सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है।

संकल्प संख्या..................

नगर निगम व जलकल का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2019–20 सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

Mridula

(मृदुला जायसवाल)
महापौर/अध्यक्ष
महापौर
नगर निगम-वाराणसी